कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनाएं, जयपुर ।
{जयपुर विकास प्राधिकरण, भवन}

क्रमांक: भू.अ/नवि/91/

दिनांक: 20/6/91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निवर्हन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर में भूमि अवाप्ति बाबत ।
{पृथ्वीराज नगर योजना}

मुकदमा नम्बर :

1- 514/88
2- 518/88
3- 537/88
4- 527/88
5- 522/88
6- 515/88
7- 540/88

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

अ वा र्ड

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 {1984} का केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 1 (की धारा 4{1} के तहत क्रमांक प. 6{15}नविआ/11/87 दिनांक 6.1.88 तथा गजट का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र में दिनांक 7 जुलाई 1988 को कराया गया है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनाएं जयपुर द्वारा 5ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजे के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 का गजट प्रकाशन के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन पत्र क्रमांक प. 6{15} नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 को प्रकाशन राजस्थान राज पत्र के भाग - 6 ख में दिनांक 31 जुलाई 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया । उसमें ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है :-

क्र.सं.	मुकदमा नं0	खसरा नं0	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बी. बि.	खातेदार का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	514/88	23	14-04	लाला पुत्र झरिया 1/2 बोथा पुत्र नारायण 1/2 जाति [illegible] हरियाणा ब्राहम्ण सा. असरपुरा

1.	2.	3.	4.	5.
2.	518/88	54	0-10	सिवाय चक [illegible]
		161	0-02	
		171	0-02	
		34	0-01	
		63	4-04	
		113	0-05	
			5-04	
3.	537/88	116	0-11	कान्या पिता बालू 1/2 भँवर लाल, गोविन्दराम, रामेश्वर, राधेश्याम, पिता छंदा 1/2 कोम खाती सा. देह
4.	527/88	57	1-13	सुवालाल पुत्र गंगाराम [illegible] ब्राह्मण सा. देह
		58	3-19	
		59/1	3-14	
		60	2-14	घीस्या, गोविन्दा, गोपाल पिता मूला सेवा पुत्र गंगाराम काना बाशा हनुमान पिता गणेश, महादेव पुत्र भ्रा[illegible] सा. देह
5.	522/88	40	0-08	सुवालाल, कल्याण पुत्र गंगाराम ब्राह्मण सा. देह
		42	1-01	
		48	0-09	
6.	515/88	24	8-12	छंदा पु. लादू पिता बालू ब्राह्मण सा देह असरपुरा
		25	5-15	
		[illegible]	[illegible]	
7.	540/88	120	1-00	भँवर लाल, गोविंदराम, रामेश्वर राधेश्याम, पिता छंदा, [illegible] ब्राह्मण सा. देह

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परिषद
जयपुर

मुकदमा नं0 514/88 खसरा नं023 :

धारा 6 के राजस्थान राज पत्र मे खसरा नं0 23 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा लाला पुत्र ईसरिया 1/2, जोधा पुत्र नारायण 1/2, जाति ब्राह्मण हरियाणा सा. असरपुरा के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 20.11.90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारो ने नोटिस लेने से इन्कार किया। तामिल कुनिन्दा द्वारा दो गवाहो के समक्ष चस्पा किया कर तामिल कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.4.91 को रजि0एडी0

नोटिस जारी किया गया । जो तामिल होने के बावजूद भी खातेदारान/ हितदारान उपस्थित नहीं हुए । दिनांक 13-6-91 को दोनों समाचार पत्रों में दैनिक नवज्योति व नव भारत टाइम्स में प्रकाशन कराया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये । दिनांक 13-6-91 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाये गये ।

मु०नं0 518/88 ख०नं0 171, 161, 113, 54, 34 63

धारा 6 के राजस्थान राज पत्र में भूमि खसरा नम्बर 54, 63, 34, 161, 171, 113, तहसील सांगानेर में राजकीय भूमि सिवाय चक दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 30-11-90 को जारी किया गया । तामिल हो चुका । तत्पश्चात दिनांक 10-6-91 को नोटिस जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस तामिल हो चुका है । बावजूद खातेदारान/ हितदारान उपस्थित नहीं हुये । उक्त भूमि ख०नं0 राजकीय भूमि (सिवाय चक) होने के कारण यह भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहित हो जाती है । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का भी यह कथन है कि सिवाय चक भूमि राजकीय भूमि होती है ~~इसकी मुआवजा निर्धारण करने का कोई औचित्य नहीं है~~ । प्राधिकरण के इस कथन से हम सहमत है । ~~अतः आदेश दिया जाता है कि सिवाय चक भूमि के मुआवजे का निर्धारण करने का~~ कोई औचित्य नहीं है ।

मुकदमा नं0537/88 खसरा नं0116 :

धारा 6 के राजस्थान राज पत्र में भूमि खसरा नं0 166 रकबा 11 किस्वा कान्हापुत्र बाबू 1/2, भंवर लाल, गोविन्दराम, रामेश्वर, राधेश्याम पिता चन्दा 1/2 कौम खाती सा०देह के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 18-4-91 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों के नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के सामने चस्पा कर तामिल कराया गया तथा दिनांक 19-4-91 को रजि० ए०डी० नोटिस जारी किये गये जो तामील हो गये हैं । तत्पश्चात खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 13-6-91 को दो समाचार-पत्रों में दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में नोटिस का प्रकाशन कराया गया। दिनांक 13-6-91 को गोविन्दराम की ओर से शिवसिंह एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया अन्य हितदारान की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये। वकील दावेदार ने क्लेम पेश करने के लिये समय चाहा गया लेकिन दिनांक 20-6-91 तक भी क्लेम पेश नहीं किया तब खातेदारान/हितदारान के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 527 ख.न. 5758, 59/1 - 60

धारा 6 के राजस्थान राजपत्र में भूमि ख.न. 58, 58, 59/1 हुवालाल पुत्र गुंगाराम ब्राह्मण सा. देह को खातेदारी में दर्ज है तथा ख.न. 60 घीस्या, हनुमान पिता गोविन्दा, गोपाल पिता भूरा, तेजा पुत्र गुंगाराम, कामा, आशा, गणेश, महादेव पुत्र पुरा कौम ईगर सा. देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 का नोटिस दिनांक 10-4-91 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस चस्पादगी के द्वारा

——4/पर——

तामिल कराया गया है । तत्पश्चात दिनांक8-5-91 को धारा 9 व 10 का नोटिस रजिस्टर्ड ऐ०डी० व तामिल कुनिन्दा द्वारा जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिर्पोट के अनुसार नोटिस तामिल करवा दिया गया तथा रजि०ऐ०डी० भी तामिल हो चुकी है। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 11-6-91 को दो दैनिक समाचार पत्रों के दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में सूचना प्रकाशित कराई गई। इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर खातेदार/हितदारान के खिलाफ दिनांक 13-6-91 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 522 खसरा नम्बर 40, 42, 48 :

धारा 6 के छव राजस्थान राजपत्र में भूमि खसरा नम्बर 40, 42, 48 सुवालाल, कल्याणपुत्र गुंगाराम ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 20-11-90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिर्पोट के अनुसार नोटिस तामिल हो चुका है। दिनांक 18-4-91 को रजिस्टर्ड ऐ०डी० नोटिस भी जारी किये गये । इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये । अतः दिनांक 13-6-91 को दो दैनिक समचार पत्रों में दैविक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में सूचना प्रकाशित कराई गई। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 13-6-91 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 515/88 ख.न. 24, 25 :

धारा 6 के राजस्थान राजपत्र में भूमि खसरा नम्बर 24, 25 चन्दा, लादू पिता बालू ब्रा. हरियाणा सा. असरपुरा के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 का नोटिस 20-11-90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिर्पोट के अनुसार नोटिस चस्पादगी के द्वारा तामिल कराया गया । दिनांक 8-5-91 को रजिस्टर्ड ऐ०डी० द्वारा भी नोटिस जारी किये गये जो तामिल होकर प्राप्त हो गये हैं। इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये है। दिनांक 13-6-91 को दो दैनिक समाचार-पत्रों में दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में सूचना का प्रकाशन कराया गया । तब भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः दिनांक 13-6-91 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 540/88 खसरा नम्बर 120 :

धारा 6 के राजस्थान राजपत्र में भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा शंकरलाल, गोविन्दराम, रामेश्वर, राधेश्याम पिता चंदा कौम जागिड़ ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 का नोटिस दिनांक 23-11-90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिर्पोट के अनुसार नोटिस तह कृषक को सब की ओर से तामिल कराया गया । दिनांक 8-5-91 को रजिस्टर्ड ऐ०डी० नोटिस जारी किया गया जो तामिल होकर प्राप्त हुआ। दिनांक 13-6-91 को दो समाचार-पत्र में

-----5/पर-----

दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में सूचना का प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुआवजा निर्धारण:-

जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6/15/नविआ./87 दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना में 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या क्रमांक 353-355 द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर, जयपुर विकास आयुक्त एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया स्वीकृत कर दी जावे। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मिटिंग में भी मुआवजा निर्धारण करने के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियसन नहीं किया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा -4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पृथ्वीराज नगर योजना में धारा - 4 का गजट नोटिफिकेशन 7.7.88 को हुआ था इसलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई, 1988 को विभिन्न उपपंजियकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता।

जहां तक उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदारान/हितदारान को मुआवजे निर्धारण का प्रश्न है ~~खातेदारान की ओर से क्लेम पेश किया गया है~~ ।

उपरोक्त सभी मामलों में एकतरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, ने पत्र क्रमांक टी.डी.आर. /91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचीत किया है कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम ~~[illegible]~~ मीणावाला तहसील जयपुर में ~~20,000~~ 10,200/- रुपये प्रति बीघा के अनुसार [illegible] भूमियों का पंजीयन हुआ था इसलिए जहां तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार जयपुर (सांगानेर) के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण (I) ने अपने यू०ओ० नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा तहसील जयपुर (सांगानेर) में धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास प्रन्यास,
जयपुर

लेकिन इसी (32) न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रतिबीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये। एवं जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास - प्राधिकरण के अभिभाषक केoपीo मिश्रा नें कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप सें यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/रु= प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं।

अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा -4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये दो वर्ष की समयावधि नियत है। लेकिन खातेदारान/हितदरान को धारा 9 व 10 के नोटिस, तामिल कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए०डी० एवं समाचार-पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का घोतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते।इसलिए एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

------7/पर------

जहाँ तक पेड़-पौधों, मकान, कुएं एवं भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई भी तखमीना पेश नहीं किया गया है और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने पेश किये गये है। ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चरस (यदि कोई हो) के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर विचार किया जा करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धित दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ठ "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 (1ए) एवं 23 (2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण परिशिष्ठ "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में [illegible] सम्मिलित है एवं अरबन अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

यह अवार्ड आज दिनांक 20-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

संलग्न: परिशिष्ठ "ए"
नक्शा तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं, जयपुर।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

यह अवार्ड आज दिनांक 25/7/91 को राज्य सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या एफ 6

-8-92

1151/नीव आ/8/91 पारित दिनांक 28/1/91 के
द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ
है। अतः अवार्ड आज दिनांक 25/7/91
को स्टेट इन्तखाब में दर्ज किया
जा कर पत्रावली में शामिल किया
जाता है। सचिव ज.वि.प्रा. को अवार्ड
की एक प्रति भेजी जावे। [illegible]
को [illegible] के [illegible]
है।

ह०
25/7/91

भूमि [illegible] अधिकारी
नगर [illegible] योजनाएँ
जयपुर

[illegible] दिनांक 28/1/91 [illegible] द्वारा [illegible]

: 1 :

परिशिष्ठ " ए " गणना तालिका ग्राम- माग्यावास :

क्र.सं.	मुकदमा नं0	खातेदार/हितदार	ख.न.	रकबा नं0	मुआवजे की दर	मुआवजे की राशि	सोलिशियम 30%.	अतिरिक्त 12%.	कुलयोग
1.	14/88	लालाराम पुः हसरिका 1/2जोधा पु.नारायण 1/2 जाति ब्राहमण हरियाणा सा. असरपुरा	23	14-04	24000/-	3, 40, 800/-	1, 02, 240/-	1, 20, 848/-	5, 63, 8 8/-
2.	537/88	काना पु.बालू 1/2 भँवरलाल, गोविन्दराम रामेश्वर, राधेश्याम पु. बुंदा 1/2 कौम खाती सा.देह	116	0-11	24, 000/- 0, 0	13, 200/-	3, 960/-	4, 681/-	21, 841/-
3.	527/88	तुवालाल पु.गुंगाराम ब्राहमण सा.देह	57 58 59/1	1-13 3-19 3-14 9-06	24, 000/-	2, 23, 200/-	66, 960/-	79,147 /-	3, 69, 307/-
{2}		घीस्या, गोविन्दा, गोपाल पु. मुला, सेवा पु.गुंगाराम काना, आशा, हनुमान पु. गणेश, महादेव पु. भूरा कौम गुंगर सा.देह	60	2-14	24, 000/-	64, 800/-	19, 440/-	22, 978/-	1, 07, 218/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं,
जयपुर

क्रमशः:——2/पर——

94

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	5[illegible]/88 522	सुवालाल, कल्याण, पु. गुमाराम	40 42 48	0-08 1-01 0-09 1-18	24,000/-	45,600/-	13,680/-	16,170/-	75,450/-
5.	515/88	चुंदा, लादू पु. बालू ब्राहमण सा. देह अतरपुरा	24 25	8-12 5-15 14-07	24,000/-	3,44,400/- 8036,	100320/-	1,22,124/-	5,69,844/-
6.	540/88	भँवरलाल, गोविन्दराम रामेश्वर, राधेश्याम पु. चुंदा कौम जांगिड ब्राहमण सा. देह	120	1-00	24,000/-	24,000/-	7,200/-	8,510/-	39710/-

नोट :- (1) सोलेशियम 30 % कालम नम्बर 6 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है।
(2) अतिरिक्त राशि 12 % की गणना धारा 4 (1) का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7.7.88 से 20.6.88 तक की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण भवन, जयपुर